

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 393/2023

ध्रुव कुमार पुत्र श्री बलराम जाति जाट निवासी बुकेरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

अमरचन्द पुत्र श्री रतीराम जाति जाट निवासी बुकेरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

रामकुमार पुत्र श्री रतीराम जाति जाट निवासी बुकेरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 21.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष
वारं वारं इनाफेसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन
मुन्द पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी ध्रुव कुमार पुत्र श्री बलराम जाति जाट निवासी बुकेरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 101/79 जमाबन्दी सम्यत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/137 22 21ता25/0.253 है.प्र.

138/138 35 1/1/0.190 है., 1/2/0.038 है., 1/3/0.025 है.,

2/1/0.215 है., 2/2/0.038 है., 3/1/0.215 है.,

3/2/0.038 है., 4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है.,

5/1/0.215 है., 5/2/0.038 है., 8/1/0.152 है., 9/0.253 है.

कुल 2.935 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम
किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद
मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्

निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख

वसूलयाबी तकको अदा करे।

बराबत मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 21.6.2024 को
जारी किया जाता है।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया